संख्याः-789/II-2005-04(04)/05

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनु सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक 1) मार्च, 2005

विषयः- जनपद नैनीताल की बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की वर्ष 2004-05 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (उत्तर) सिंचाई विभाग उत्तरांचल, हल्द्वानी के पत्र संख्या 306/सीईएन/एफ-1 बाढ़ दिनांक 29.01.2005 एवं पत्र सं0 306(1) /सीईएन/एफ-1 बाढ़ दिनांक 29.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के चोर गलिया कस्बे की नन्धौर नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक एवं रोकथाम की योजना रू0 183.05 लाख एवं जनपद नैनीताल के कुटलिया, आम खेड़ा, घूसापुर एवं मुखानी खडकु ग्रामों की नन्धौर नदी से बाढ़ से सुरक्षा की योजना लागत रू0 162.39 लाख अर्थात कुल रू0 345.44 लाख की लागत की योजनाओं के आगणनों को टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत क्रमशः रू0 180.60 लाख एवं रू0 160.00 लाख अर्थात कुल रू0 340.60 लाख (रूपये तीन करोड़ चालीस लाख साठ हजार मात्र) के आगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

1- उक्त बाढ़ योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस बाढ़ योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाय।

3- स्वीकृत की जा रही बाढ़ योजना कां कार्य समयवद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4- कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है कि स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः.....2

8– एकमुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व निरतृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

9– कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भान्ति निरीक्षण उच्चा अधिकारियों से आवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12– योजना के लिए धनावंटन एवं व्यय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर पूर्व से ही अवमुक्त धनराशि में से किया जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्याः 686 /वि0अनु0–03 /2004 दिनांक 9 मार्च, .2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

संख्याः 789/ ।।–2005–04(04)/05तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरॉचल शासन।
3– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, नैनीताल ।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा, उत्तरांचल।
5– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
8– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव